संख्या: 269 /2023 / 3748 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 सितम्बर, 2023

विषय:- संस्कृति विभाग द्वारा निर्देशित मूर्तियों के निर्माण के उपरान्त मूर्तियों की गुणवत्ता की जांच से संबंधित शुल्क की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1915/ सं0नि0-25(10)/ 2022-23, दिनांक 24 अगस्त, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें निम्नलिखित मूर्तियों की गुणवत्ता जॉच शुल्क की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र0	मूर्ति का विवरण	जॉच शुल्क
1	शहीद पार्क काकोरी में स्थापित 05 मूर्तियां (यथा-अमर शहीद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां एवं चन्द्रशेखर आजाद की 03 फिट आवक्ष मूर्तियां)	रू0 1,75,384/-
2	स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर में स्थापित 04 मूर्तियां (यथा-अमर शहीद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां की 03 फिट आवक्ष मूर्तियां)	रू0 66,500/-
3	भारत रत्न मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी की 12.5 फिट ब्रांज मूर्ति	रू0 1,32,512/-
4	महंत अवैद्यनाथ महाराज जी की 12.5 फिट ब्रांज मूर्ति	रू0 1,24,717/-
	कुल जांच शुल्क	रू0 4,99,113/-

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उपरोक्त मूर्तियों की गुणवत्ता की जांच से संबंधित शुल्क रू0 4,99,113/- (रू0 चार लाख निन्यानवे हजार एक सौ तेरह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-09-महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य मद से वहन किया जाएगा।

4- वित्तीय स्वीकृति का यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 269 /2023 /3748 (1) /चार-2023 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।